

फर्द अहकाम

(विषय 28)

ज अदालत उपरोक्त आरती सिकराय
 लालिवा देवी सरकार बनाम उपरोक्त वकील
 नं. मुकदमा 155/2019 आरती प्रिन्टिंग
 मु. नं.

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/10/20	<p>पत्रावली निर्णय 07 RTA आर्षिनापत्र निर्णय वक्त पेशी में जी गयी / आर्षि उपरोक्त दावन द्वारा दि. 20.10.20 को 07 RTA आर्षिनापत्र पेश कर आपुह किया कि आर्षिना लालिवा देवी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का बेचान दि. 12.7.19 को आर्षि को कर दिया है। आर्षिना अब खातेदार नहीं रही है उभय पक्ष की कहल के तथ्यों पर गौर किया वादी पक्ष ने भी अपनी खातेदारी के बेचान करने का तथ्य स्वीकार किया है।</p> <p>RTA के तहत स्वीकार खातेदार ही वाद लाने की आधिकारिता रखता है चूंकि आर्षिना द्वारा अपनी भूमि का बेचान आर्षिना उपरोक्त को कर दिया है अतः आर्षिनापत्र 07 RTA स्वीकार किया जाकर वाद वादिया इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दि. 26.10.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> (खोजी/दि)</p>	

